अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
21.10.2014	**न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।** **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 37 / 2012** दुःखा मल्लाह एवं अन्य –– अपीलार्थीगण वनाम कपलेश्वर मंडल –– रेस्पोण्डेन्ट **–:: आदेश ::–** प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज द्वारा पारित आदेश दिनांकः 10.01.2012 ई0 अन्दर दखल दिहानी वाद संख्या 30 / 11–12 के विरूद्ध इस न्यायालय में ससमय दायर किया गया है। वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील वाद में मौजाः हीरापट्टी, खाताः 58, खेसराः 779, रकबा–10 डी0 प्रश्नगत विवादी भूमि है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के आदेश से ही यह स्पष्टतः वर्णित है कि जमीन खाता संख्याः 58 खेसरा संख्याः 779 कुल रकवाः 94 डी० का था, जिसमें से भूतपूर्व जमींदार द्वारा 20 डी० जमीन उत्तरवादी के पूर्वज घुटर मंडल पे०–गेना मंडल को बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ जिसके आधार पर उन्मूलन पश्चात् भूतपूर्व जमींदार द्वारा समर्पित भेस्टिंग रिर्टन के आधार पर जमाबंदी नं०–134 घुटर मंडल पे०– गेना मंडल के नाम से कायम हुआ, परन्तु निम्न न्यायालय ने भूतपूर्व जमींदार द्वारा शेष के 74 डी० भूमि का बंदोबस्ती भूतपूर्व जमींदार द्वारा अपीलार्थी के विक्रेता सरयुग यादव के नाम से किये जाने का तथा मौजा–हीरापट्टी के अंतर्गत जमाबंदी संख्याः 70 / 238 के निश्वत कोई भी विवरण अपने आदेश में दर्ज नहीं किया है जो कि माल गुजारी रसीद वर्ष 1990–91 में दर्ज रकवा 12 कट्ठा 04 धुर से स्पष्ट होता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय ने अपने आदेश के पृष्ट संख्याः 4 के पारा "ग" में स्वयं स्वीकार किया है कि अपीलार्थी (दुःखा मल्लाह) ने जमीन जिस व्यक्ति से क्रय किया है उसे भी जमीन बंदोबस्ती से प्राप्त होकर जमाबंदी संख्याः 70 बिहार सरकार के सिरिस्ता में उपलब्ध पंजी–2 में है जिसका अंचल कार्यालय से सूचना प्रपत्र–145 दिनांकः 10.01.2014 की छायाप्रति इस न्यायालय में समर्पित किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि पूर्व से दखल बिन्दु को स्थगित करने लिए अपीलार्थी मौजा–हीरापट्टी थाना नं०–297 के	

चकबंदी प्रक्रिया के दरम्यान कायम चकबंदी खतियान नाम से रामजी यादव वो सरयुग यादव खाताः 432 खेसरा संख्याः 1358, रकवाः 04 डी० मकान मय सहन वो खाता नं०– 432 खेसरा नं०– 1358 रकवा–4 डी० मकान मय सहन वो खेसरा नं०–1357 रकवा– 15 डी० जिसका चक खेसरा संख्या क्रमशः 1358 का 1622 और 1357 का 1621/1988 कायम किया गया है। स्वतः अपीलार्थी के विक्रेता का दखल साबित करता है जिसे उत्तरवादी ने किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दिया है। वस्तुतः वर्णित भूमि का चक का अन्तीमीकरण नहीं हुआ है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी ने जमाबंदी संख्याः 70 के धारक सरयुग यादव से 23.11.1992 को तथाकथित जमीन जमाबंदी संख्याः 70 को चलता पाकर तथा चकबंदी में खाताः 432 व 480 खेसरा संख्याः 1358, 1357, 1355, कुल रकवाः 19 डी० एवं 17 डी० जिसका चक खेसरा संख्याः 1622 व 1621/1988 व 1620 कायम हुआ है के आधार पर जमीन केवाला से प्राप्त किये है तथा नापी कर अपने खरीदगी रकवा 7 कट्ठा यानि साढ़े तीस डीसमल पर हकदार वो दखलकार चले आते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के नाम बिहार सरकार में अद्यतन वर्षः 11–12 तक का मालगुजारी रसीद निष्वत 7 कट्ठा का कायम है जो खाता पुरानाः 58, खेसरा–779 व 780 कुल रकवा साढ़े तीस डीसमल से संबंधित है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज ने अपने आदेश के पृष्ठ संख्याः 5 के पारा ''च'' में जो टिप्पणी दर्ज किया है कि बंदोबस्ती से प्राप्त और गैर मजरूआ खास जमीन हस्तांतरणीय नहीं है यह सर्वथा गलत एवं भ्रामक होने के कारण खण्डनीय बतलाते हैं। वस्तुतः इसका कोई ठोस प्रमाण/परिपत्र इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील वाद के समर्थन में लिखित बहस, इनफारमेशन पिटीशन दिनांकः 10.11.2014, धारा 10 (1) के अधीन सूचना प्रारूप, प्रपत्र 17 रैयत रामजी यादव वो सरयुग यादव, प्रपत्र 17 रैयत सरयुग यादव, रसीद संख्याः 055008, रसीद संख्याः 356760, रसीद संख्याः 9355829, रसीद संख्याः 57033, रसीद संख्याः 43080, रसीद संख्याः 018290, दो इनफॉरमेशन पिटीशन दिनांकः 05.02.2000, रसीद संख्याः 57033, केबाला दस्तावेज 23.11.1992 की छाया प्रतियाँ दाखिल किया जिससे कोई स्पष्ट निष्कर्ष इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि चक का अन्तमीकरण नहीं हुआ है।

रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि प्रतिवादी श्री गुटर मंडल के पिता को विवादी प्रश्नगत भूमि पूर्व के मध्यवर्ती से बंदोबस्ती के माध्यम से प्राप्त थी और बंदोबस्ती की तिथि से अद्यतन लगातार वो शांतिपूर्वक दखलकार रहे हैं।

रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह कथन करते हैं कि उक्त दखल के अनुसार ही बिहार सरकार सिरिस्ते में कुल 0.20 डी० भूमि हेतु जमाबंदी संख्याः 134 उनके नाम से कायम हुआ और उनके नाम से ही चलती है तथा मालगुजारी दिनांकः 20.12.2013 तक अद्यतन भुगतान किया गया है। गुटर मंडल के मृत्यु के बाद उनके पुत्र कपलेश्वर मंडल प्रश्नगत भूमि के दखलकार हुए तथा भूमि पर पूर्ण दावा तथा शान्ति के साथ दखलकार रहते आये। आगे यह भी कथन करते हैं कि इस स्तर पर अपीलार्थी द्वारा झूठे और जालसाजी बिक्री दस्तावेज जो कि तथाकथित सरयुग यादव के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में क्रियान्वित है, के आधार पर प्रतिवादी के भूमि को हड़पना चाहा तथा 0.20 डी० में से 0.10 डी० भूमि से बलपूर्वक बेदखल कर दिया गया जिसके बाद प्रतिवादी (भूमि विवाद वाद संख्याः 30/11–12 में आवेदक) द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के न्यायालय में भूमि विवाद वाद संख्याः 30/11–12 दाखिल किया गया जिन्होनें प्रश्नगत विवादी भूमि पर आवेदक

(अपीलीय न्यायालय में रेसपाण्डेन्ट) के दावे के योग्यता के आधार पर वाद का निर्णय किया गया।

रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी का यह कथन कि *जमाबंदी संख्याः 70 सरयुग यादव के नाम से चल रही है का कोई आधार नहीं है जैसा कि जमाबंदी संख्याः 70 के स्थिति के संबंध में अंचल से वांछित सूचना में यह स्पष्ट कहा गया है कि पंजीः 2 में जमाबंदी संख्याः 70, अपीलार्थी के द्वारा कथित उनके विक्रेता सरयुग यादव के नाम से वाद संख्या दर्ज नहीं है।*

रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि *भूमि मापी वाद संख्याः 61/12–13 में अंचल अमीन के प्रतिवेदन पत्रांकः 37 दिनांकः 15.01.2013 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थीयों द्वारा प्रतिवादी को उनकी 0.8 डी० भूमि से उन्हें बेदखल किया गया है तथा यह दुखा मल्लाह द्वारा कब्जा कर लिया गया है।* रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि मौजाः हीरापट्टी की खेसरा पंजी यह दर्शाती है कि सी०एस० खेसरा संख्याः 779 रकवाः 0.20 डी० भूमि प्रतिवादी के नाम से दर्ज है तथा भूमि का प्रकार "मकान" दर्शाया गया है जो कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी के दखल कब्जा को पुष्ट एवं साबित करता है। इसमें इन्दल मंडल के कब्जे में 10 डि0 जमीन है तथा 02 डि0 नहर में गया है।

रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता रेसपाण्डेन्ट के दावा के समर्थन में रेन्ट रसीद संख्या 604789 जमाबंदी संख्या 134 रकबा 0.20 डी0 नामसे कपलेश्वर मंडल पे0 घुटर मंडल, मौजा हीरापट्टी अन्तर्गत पंजी –II जमाबंदी नं0 70 में सरयुग मंडल के नाम से अंकित नहीं हैं संबंधी इनफारमेशन स्लीप, भू मापी वाद संख्या 61/12–13 में अमीन द्वारा समर्पित नापी प्रतिवेदन की सच्ची प्रतिलिपि, मौजा–हीरापट्टी II हल्का 50 थाना नं0 297 अंचल त्रिवेणीगंज का खेसरा पंजी जिसका खाता पुरानाः 58 ,खेसरा पुरानाः 779 रकबा 0.20 डी. का प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल किया है जो बहस के दौरान दिखाया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकनोपरांत पाया कि प्रतिवादी का दावा सही है तथा निम्न न्यायालय के आदेश में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी को इनके द्वारा धारित राजस्व रसीद एवं जमाबंदी नं0–134 के अनुरूप भूमि पर कब्जा दिलाया जाय। इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है तथा इसकी प्रति अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज को अपेक्षित कार्यवाई हेतु दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.X.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा